सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 1008 राँची, गुरुवार, 5 दिसम्बर, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

5 दिसम्बर, 2019

संख्या- SUDA/AMRUT/BPA-Building Bye-Laws/77/2016/5824-- विभागीय संकल्प संख्या-2691, दिनांक-17.05.2016 के अनुसार अमृत योजना अंतर्गत सुधार कार्यक्रम के तहत भवन निर्माण एवं ले-आउट के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायो, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आर०आर०डी०ए०), खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा) एवं अन्य सभी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार द्वारा भवन नक्शों को प्रदान की जाने वाली स्वीकृति को झारखण्ड भवन उपविधि, 2016 के अनुसार कम्प्यूटराइज्ड करते हुए ऑनलाइन पद्धति के रूप में अधिष्ठापित किया गया है।

उक्त क्रम में कार्यालय आदेश संख्या-56, दिनांक-28.03.2017 द्वारा Ease of Doing Business (EoDB) की परिकल्पना को मूर्त्त रूप में लाने हेतु Web based online BPAMS (Building Plan Approval Management System) राँची नगर निगम में दिनांक 14.09.2015 तथा अन्य सभी निकायों में दिनांक 16.12.2016 से लागू किया गया है। इस प्रकार ऑफलाईन प्रक्रिया से नक्शा स्वीकृति पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है।

2. Building Plan Approval Management System के कार्यान्वयन के क्रम में यह बात विभिन्न निकाय एवं प्राधिकार द्वारा प्रकाश में लाया गया है कि वर्णित सिस्टम में ऑनलाईन पद्धति से ले-आउट प्लान की Scrutiny का प्रावधान Software में नहीं है, जिसके कारण वर्त्तमान में ले-आउट प्लान स्वीकृति का कार्य ऑनलाईन पद्धति से नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त परिस्थिति में वर्त्तमान में झारखण्ड भवन उपविधि, 2016 यथा संशोधित के अध्याय-VIII कंडिका 68-75 में ले-आउट स्वीकृति संबंधी प्रावधान के अनुसार ऑफलाईन पद्धति से स्वीकृति दिया जाना ही एक मात्र विकल्प है।

3. अतएव सम्यक विचारोपरांत जनहित में यह निर्णय लिया जाता है कि झारखण्ड भवन उपविधि, 2016 यथा संशोधित में ले-आउट स्वीकृति संबंधी प्रावधान के अनुसार ले-आउट प्लान से संबंधित प्राप्त हुए/होने वाले अभ्यावेदनों का निष्पादन दिनांक-31.03.2020 तक ऑफलाईन पद्धति से किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

उपरोक्त के आलोक में कार्यालय आदेश संख्या-56, दिनांक-28.03.2017 इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1008 -- 50